(3)

पत्र संख्या-6/रा0-24/2001-का0 39 /

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

श्री सुशील कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष / निबन्धक, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय/ सचिव, झारखंड विधान सभा / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी उपायुक्त/ सभी उप निदेशक, राजभाषा ।

रांची, दिनांक- 6 जुलाई, 2001

विषय:- हिन्दी टिप्पण प्रारूपण (राजपत्रित/ अराजपत्रित) एवं हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345, 347 एवं 348 के उपबंधों के अध्यधीन राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी प्रतिष्ठित है ।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 तथा मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 361/रा0 दिनांक- 15 जून, 1968 में निहित उपबन्धों के अनुरूप झारखंड सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए स्वतंत्र एवं पृथक रूप से निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित एवं संचालित कराने का निर्णय लिया है :--

(1) हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा - राजपत्रित कोटि के लिए
(2) ,, ,, ,, ,, - अराजपत्रित कोटि के लिए
(3) लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा - प्रवेशिका अनुत्तीर्ण कर्मचारियों के लिए

3. ऊपर वर्णित क्रमांक-1 एवं 2 की परीक्षाओं में हरेक सरकारी सेवक को जिसकी नियुक्ति ऐसे पद पर हुई है, जहाँ उसे अपने कर्त्तव्य सम्पादन के दौरान टिप्पणी लिखना और प्रारूप तैयार करना पड़ता है, जिसमें रिपोर्ट आदि शामिल है, उस पद पर नियुक्ति से एक वर्ष के भीतर उत्तीर्ण होना होगा ।

.....2/-

4. उसी प्रकार क्रमांक-3 की परीक्षा में चतुर्थवर्गीय सेवक से भिन्न हरेक सरकारी सेवक, जो प्रवेशिका परीक्षा में अथवा किसी ऐसी परीक्षा में जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रवेशिका परीक्षा के समकक्ष मान्यता मिली हो, उत्तीर्ण नहीं हो और उन्हें कर्त्तव्य सम्पादन के क्रम में लिखने-पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर उत्तीर्ण होना होगा ।

5. देवनागरी लिपि में हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा त्रैमासिक होगी और साधारणतः प्रति वर्ष मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में होगी। देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने-पढ़ने की परीक्षा अर्द्धवार्षिक होगी और साधारणतः प्रतिवर्ष मई और दिसम्बर महीने में होगी । विशेष परिस्थिति में परीक्षा संचालित करने वाले प्राधिकारी ऊपर निर्दिष्ट महीनों से भिन्न महीने में भी परीक्षा ले सकेगा।

6. ऊपर वर्णित परीक्षाओं के लिए केवल एक प्रश्न-पत्र- 100(एक सौ) अंकों का होगा । हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक- 40% एवं हिन्दी लिखने-पढ़ने के लिए उत्तीर्णांक-33% होगा ।

7. उक्त परीक्षाएँ केन्द्रीकृत होंगी और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित कराई जाएगी । इसके नियंत्रण पदाधिकारी सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग होंगे । ये परीक्षाएँ सचिवालय मुख्यालय स्तर पर सचिव/ उपसचिव, प्रमंडल स्तर पर आयुक्त एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी/ उपायुक्त द्वारा आयोजित की जाएगी । जिन प्रमंडलों में उपनिदेशक, राजभाषा पदस्थापित है, वहाँ उपनिदेशक आयुक्त के आदेश/निदेश से परीक्षा का आयोजन कराएंगे ।

देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने-पढ़ने की परीक्षा सिर्फ सचिवालय मुख्यालय एवं प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी । उक्त परीक्षाओं के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग समय-समय पर आवश्यक एवं अपेक्षित निदेश निर्गत कर सकेगा ।

.....3/-

8. जिन सरकारी सेवकों को उपर उल्लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है उन्हें तबतक न तो वेतनवृद्धि दी जाएगी न सम्पुष्ट किया जाएगा न दक्षतारोक ही पार करने दिया जाएगा, जबतक वे अपेक्षित हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जाएं । वेतन वृद्धि की रोक पर संचयात्मक प्रभाव नहीं होगा । सम्बद्ध सरकारी सेवक अपेक्षित परीक्षा/ परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाने के बाद जिस अंतिम परीक्षा में वह सम्मिलित और उत्तीर्ण हुआ हो उस परीक्षा की तारीख के बाद पड़ने वाली तारीख से कालमान के उस प्रथम तारीख से वेतन पाएगा, जिसका वह हकदार होगा ।

9. बिहार सरकार राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित पूर्व की परीक्षाओं में जो सरकारी सेवक उत्तीर्ण घोषित हो गए होंगे उन्हें उक्त परीक्षा/ परीक्षाओं में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

5.7.2001

(सुशील कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव ।